आदेश की क्रम सं एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
	न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।	
	U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973	
	दाखिल खारिज अपील वाद संख्या−36 / 2020−21	
	1. बसंती देवी, पति–श्री मुचीराम उराँव, सा०–सालगाडीह, पो०–एदेलहातु,	
	पो०–एदेलहातु, थाना–बुण्डू, जिला–राँचीअपीलार्थी ।	
	बनाम	
	1. राजीव कुमार, अंचलाधिकारी, बुण्डू वगैरहविपक्षी।	
	आदेश	
12.12.000	प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा	
	सं०–385 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–18/05/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह	
	अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।	
	भूमि विवरणी	
	मौजा थाना थाना सं० खाता सं० खेसरा सं० स्कवा	
	छोटकोलमा बुण्डू 57 5 6 92 डिसमील	
	चौहदीः– उ०–विक्रेता नीज, द०–सलगाडीह सीमाना वो रास्ता,	
	पू०–रास्ता, प०–विक्रेता नीज	
	अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद	
	को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण	
	मुकदमा सं०–385 R27/2018-2019/बुण्डू का ऑनलाईन जनित अस्वीकृति की सूचना की	
	प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार	
	नामांतरण आवेदन में विक्रेता की वंशावली संलग्न नहीं रहने के कारण संबंध स्पष्ट नहीं है,	
	अतएव इसी आधार पर नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।	
	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा दाखिल किए गए	
	दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं	
	अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ	
	प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए वांछित दस्तावेजों	
	को प्राप्त कर उनकी जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना	
	सुनिश्चित करेंगे।	
	निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक	
	कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,	
	भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,	
	बुण्डू(राँची)। बुण्डू(राँची)।	

204 order mutation appeal 2020-21 2